प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 56/2026)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 के मसौदे पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में ।

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 का मसौदा भादूविप्रा की वेबसाइट पर 7 अप्रैल 2026 को जारी किया था। मसौदा संशोधन पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई थी।

2. हितधारकों और उनके संघ से टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा बढ़ाने के लिए प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, मसौदा संशोधन पर लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 5 मई 2026 तक** बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, हितधारकों के अनुरोध के अनुसार, टिप्पणियों पर प्रति टिप्पणियां भी भेजी जा सकती हैं। प्रति टिप्पणियां जमा करने की **अंतिम तिथि 12 मई 2026 तक** है।

3. मसौदा संशोधन पर टिप्पणियां, और प्रति टिप्पणियां, यदि कोई हों, ईमेल आईडी fea1-div@trai.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जा सकती है। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, सलाहकार (एफ एंड ईए) से दूरभाष नंबर 011-20907773 पर संपर्क किया जा सकता है।

4. इस मामले में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

अशोक झा

(अशोक कुमार झा)

प्रभारी सचिव, भादूविप्रा